

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

2023/128

Count
01/6/23

विषय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

माहौदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सराधना पटवार मण्डल सराधना भू अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र सराधना तहसील अजमेर की जमाबंदी सवत 2069-72 खाता सं. 760 में गोपाल पुत्र सुरजकरा जाति जाट हि 1/3 सा. 44 खातेदार

अंकन है। जब कि जमाबंदी सवत मेरा वास्तविक अंकन है। अतः उक्त अंकन वर्तमान जमाबंदी में बिना किसी आधार के गलत अंकन हो गया। अतः के अनुसार दुरुस्ती करने की कृपा कराये।

जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी सं.

अंकन दर्ज है। उक्त अंकन वर्तमान जमाबंदी में बिना किसी आधार के गलत अंकन हो गया। अतः के अनुसार दुरुस्ती करने की कृपा कराये।

दिनांक 1.6.23

हस्ताक्षर

तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर

प्राची

गोपाल

480

क्रमांक 1-6-23

पता

मोन

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू अगिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रवेदन पर की जाच की गई कि ग्राम सराधना के खाता सं. 760 में प्राची का

नाम गोपाल पुत्र सुरजकरा दर्ज है जबकि वादात कार्ड में जगदीश

पुत्र सुरजमल

अंकन दर्ज है जो गलत है। अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन गोपाल अर्क

जगदीश पुत्र सुरजकरा अर्क सुरजमल

दुरुस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

01/6/23

पटवारी

हस्ताक्षर भू अगिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर तहसीलदार

तहसीलदार, अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

आ.उखअ/राजस्व/शिविर/21/10

दिनांक 1/6/23

आदेश :-

रिपोर्ट व अनुशंसा पटवारी हल्का सराधना भू अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र सराधना तहसीलदार

के अन्तर्गत पर ग्राम सराधना पटवार मण्डल सराधना भू अगिलेख क्षेत्र सराधना तहसील

की जमाबंदी के खाता सं. 760 खास नम्बर पर नवीन अंकन राजस्थान

पटवारी अधिनियम 1958 की धारा 88 के अन्तर्गत दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया

है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकार्ड का मिलान/जाच एव मा न्यायालय में वाद विचारधीन एव स्वयं आदेश की पूर्ण

परी करने के पश्चात् ही रिकार्ड में अंकन दर्शाव करवाये।

गोपाल अर्क जगदीश पुत्र सुरजकरा अर्क सुरजमल

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

हस्ताक्षर